न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्याः— 31/2020

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थी

1. दरियावकंवर पत्नी भंवरसिंह
2. इन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. लक्ष्मणसिंह पुत्र भंवरसिंह
4. समदरसिंह पुत्र भंवरसिंह

जाति राजपूत, निवासी बड़ला बासनी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

तहसीलदार तिंवरी

उपस्थित—

प्रार्थीगण की ओर से :—अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा।

अप्रार्थी की ओर से :— सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

—:निर्णयः—

दिनांक 9-9-2020

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:— ग्राम बड़ला बासनी तहसील तिंवरी में प्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 41/4, 90/5, 92/3, 94/3 कुल रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा, प्रार्थी संख्या 1 व 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 41/3, 90/4, 92/2, 94/2 कुल रकबा 37 बीघा 08 बिस्वा, प्रार्थी संख्या 1 व 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 41/2, 90/3, 92/1, 94/1 कुल रकबा 37 बीघा 08 बिस्वा, तथा प्रार्थी संख्या 1 व अन्य की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 41/1, 90/2, 92, 94 कुल रकबा 37 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 41/5, 90/6, 92/4, 94/4 कुल रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा की हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश हम प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम भंवरसिंह के स्थान पर भूरसिंह दर्ज कर दिया गया जो गलत है। प्रार्थीगण के पति व पिता का वास्तविक नाम भंवरसिंह है तथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में भी पति व पिता का नाम भंवरसिंह ही नाम दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश हमारे पति व पिता का नाम भूरसिंह गलत दर्ज कर दिया गया है। जिसको हम अब उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर शुद्धि करवाना

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner

चाहते है। जो इन दस्तावेजों से बखूबी भंवरसिंह प्रमाणित होता है। राजस्व रेकर्ड मे नाम अशुद्ध होने के कारण राजस्व रेकर्ड व हमारे अन्य दस्तावेजों मे एकरूपता नही होने से हमें परेशानी का सामना करना पड़ा है। अतः उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम भूरसिंह दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम भंवरसिंह दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता, पति का नाम राजस्व रेकर्ड मे भूरसिंह दर्ज है, तथा अन्य दस्तावेजों मे भंवरसिंह दर्ज है। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 41/4, 90/5, 92/3, 94/3 कुल रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 41/3, 90/4, 92/2, 94/2 कुल रकबा 37 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 41/2, 90/3, 92/1, 94/1 कुल रकबा 37 बीघा 08 बिस्वा, तथा खसरा नम्बर 41/1, 90/2, 92, 94 कुल रकबा 37 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 41/5, 90/6, 92/4, 94/4 कुल रकबा 37 बीघा 09 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1 के पति व प्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता का नाम भूरसिंह के स्थान पर भंवरसिंह दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 9.9.20 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner